पत्रांक–7 / वि.वि.प.–27 / 2002(पार्ट– I)........4709 /

झारखण्ड सरकार

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

प्रेषक,

राम सेवक शर्मा, भा.प्र.से.
सरकार के प्रधान सचिव ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव / सचिव / सभी विभागाध्यक्ष / सभी विभाग।
सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी उपायुक्त, झारखण्ड ।

रांची, दिनांक– 13 अगस्त, 2008

विषयः– राज्य कर्मियों को उच्चतर पद पर प्रोन्नति के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना है कि निम्न बिन्दुओं पर कतिपय विभागों से मार्ग–निर्देश की मांग की जाती रही है :–

(क) अराजपत्रित कर्मियों के उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक है अथवा नहीं ?

(ख) आवश्यकता पर आधारित एवं चिन्हित पदों पर प्रोन्नति के लिए आरोपित कर्मियों की प्रोन्नति हेतु पद सुरक्षित रखे जायेंगे अथवा नहीं ?

इन बिन्दुओं पर सम्यक् रूप से विचार के उपरान्त राज्य सरकार द्वारा निम्न निर्णय लिया गया है :–

(क) अराजपत्रित कर्मियों की उच्चतर पद पर प्रोन्नति के लिए जनजातीय भाषा की परीक्षा में उत्तीर्णता आवश्यक नहीं है ।

(ख) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, रांची द्वारा जनजातीय भाषा की परीक्षा में अनिवार्य रूप से उत्तीर्णता प्राप्त करने के संबंध में निर्गत परिपत्र ज्ञाप सं0–1794 दिनांक–04.04.2007 पत्र निर्गत की तिथि से प्रभावी माना जायेगा ।

(ग) आवश्यकता पर आधारित एवं चिन्हित पदों पर प्रोन्नति में वैसे सरकारी सेवक, जो निलंबित हों, अथवा जिनके विरूद्ध विभागीय कार्यवाही (जिसमें आरोप पत्र निर्गत हो) लंबित हो अथवा फौजदारी न्यायालय में अपराधिक कार्यवाही (जिसमें आरोप पत्र समर्पित हो) लंबित हो, के लिए पद सुरक्षित नहीं रखा जायेगा ।

परन्तु जिन पदाधिकारियों / कर्मचारियों की प्रोन्नति के मामले कतिपय कारणों यथा–आरोप के कारण से लंबित रह जाते हैं, एवं भविष्य में पदाधिकारी / कर्मचारी आरोप से पूर्णरूपेण मुक्त हो जाते हैं, तो वैसे मामलों में

वरीय पदाधिकारियों को उनसे कनीय पदाधिकारी को दी गई प्रोन्नति की ति. से वैचारिक प्रोन्नति का लाभ प्रदान किया जायेगा, परन्तु वास्तविक लाभ उनके द्वारा प्रभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा अर्थात प्रोन्नत पदाधिकारी को प्रोन्नति की तिथि एवं प्रभार ग्रहण करने की तिथि के बीच की अवधि के लिए कोई भुगतान देय नहीं होगा । लेकिन उक्त अवधि की गणना वेतन वृद्धि एवं कालावधि के लिए की जायेगी, परन्तु यह सुविधा उन पदाधिकारियों के लिए अनुमान्य नहीं होगी, जिनकी प्रोन्नति में विलम्ब के लिए वे स्वयं दोषी हों, या इसके कारण बिना प्रोन्नति पाए ही सेवानिवृत्त हो चुके हों ।

कृपया राज्य कर्मियों की उच्चतर पद पर प्रोन्नति के मामले में इस अनुदेश के आलोक में कार्रवाई की जाय ।

विश्वासभाजन,

13/10

(आर० एस० शर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव।